न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), निवाई जिला टोंक

प्रार्थना पत्र संख्या 21 वर्ष 2025

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील मे जारी हुए
06.05.2025	मूल वाद के साथ श्री बनवारी लाल यादव एड0 ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय की रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी वकील की प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी। एक पक्षीय बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे प्रबल प्रतीत होता है। अतः उभयपक्षकारान को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 33, 38, 5/1, वाके ग्राम खाजपुरा तहसील निवाई जिला टोंक में आगामी तारीख पेशी तक प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त मे बाधा मजाहमत नही करे। तलबी अप्रार्थीगण की जरिये रजि. ऐडी की जाकर पत्रावली दिनांक 09.06.2025 को पेश हो।	
9/6/25	पत्रा0 पेश हुई पत्रा0 प्रार्थी दिनांक 5/8/25 को पेश हो।	
5/8/25	पत्रा0 पेश हुई पत्रा0 प्रार्थी दि 20/8/25 को पेश हो।	
20/08/25	पत्रावली पेश हुई। आज P.O. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली अग्रिम आदेश दि0 01/10/25 को पेश हो।	
01/10/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील गैर हाजिर। प्रार्थी का वाद अहम प्रकृति व अहम पैरवी के अभाव दिन का चुका है। अतः TI प्रा0 प्र0 चलने का कोई औचित्य नही है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल पेश नम्बर। फैसल की नकल शामिल मूलवाद हो।	

Scanned with OKEN Scanner